



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 1992/आश्विन 1, 1914

No. 378] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 1992/ASVINA 1, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1992

सा.का.नि. 772(अ) :—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 18)
के खण्ड 3 के 34 खण्ड (1) के साथ पठित उक्त खण्ड के उप-खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा काण्डला पत्तन के न्यायी मण्डल
2399 GI/92 (1)

में “अन्य हितों” का प्रतिनिधित्व करने के लिये श्री ओ.पी. कश्यप को नियुक्त करती है और भारत सरकार के जन-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 31-3-1992 की अधिसूचना में और आगे संशोधन करती है।

2 उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 15 के परवान् संग्रह प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“16. श्री ओ.पी. कश्यप—“अन्य हितों” का प्रतिनिधित्व।

[फा.सं. पी.टी.-18011/6/91-पी.टी.]

अशोक जोशी, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 1992

G.S.R. 772(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri O. P. Kashyap, representing ‘Other Interests’ on the Board of Trustees for the Port of Kandla and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 387(E) dated 31-3-1992.

2. In the said notification after serial no. 15 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely :—

“16 Shri O. P. Kashyap — Representing ‘Other Interests’.”

[F. No. PT-18011/6/91-PT]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.